

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2095/2010/कोटा

मैसर्स कृतिका वेजिटेबल ऑयल प्रा० लि०, कसार, कोटा.

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, कोटा.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष

श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम. एल. पाटौदी,

अभिभाषक

श्री अनिल पोखरणा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.


.....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से.

दिनांक : 04.09.2017

निर्णय

1. उक्त अपील अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 01/सीएसटी/10-11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 12.08.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, कोटा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि के लिये केन्द्रीय ब्रिफ़ कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे 'केन्द्रीय अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 9 सपडित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 26, 55 व 61 के तहत पारित किये गये आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, आरोपित कर की पुष्टि की गयी है तथा आरोपित ब्याज व शास्ति को अपारस्त किया है। अतः कर के बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा खाद्य तेल की विक्री अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3(ए) के तहत पंजीकृत व्यवहारी को की गयी थी। इस आधार पर देय कर 2 प्रतिशत मानते हुए कर जमा करवाया गया था एवं केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(1) व 8(4) के अनुसार घोषणा पत्र 'सी' प्रस्तुत किये गये थे, परन्तु उक्त अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्रों की जांच कंता व्यवसायी के सम्बन्धित राज्यों से करवाई जाने पर कतिपय घोषणा पत्र बोगस प्रमाणित हुए जिसकी वजह या तो उन घोषित खरीदारों द्वारा वे घोषणा पत्र सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी से प्राप्त नहीं होना पाया गया या उन फर्मों द्वारा वह माल खरीद नहीं किया जाना पाया गया। ऐसी स्थिति में अविधिक एवं बोगस घोषणा पत्रों पर करदेयता में केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(1) के तहत प्राप्त की गई रियायत को निरस्त करते हुए पूर्ण कर दर से अन्तर कर आरोपित किया गया एवं अनुवर्ती ब्याज भी आरोपित किया गया तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अवधारित किया गया कि अपीलार्थी द्वारा ये घोषणा पत्र स्वयं की मिलीभगत से प्राप्त किये गये थे एवं देय

लगातार.....2


04/09/17



कर की चोरी करने के मन्तव्य से यह कार्य किया जाना मानते हुए करारोपण किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने आरोपित अन्तर कर को यथावत रखते हुए, ब्याज व शास्ति को इस आधार पर अपास्त किया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विवादित अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों को लेखा-पुस्तकों में प्रविष्ट किया हुआ था एवं विभाग को प्रस्तुत घोषणा पत्रों में भी उक्त विक्रयों को दर्शाया गया था। ऐसी स्थिति में किसी भी तरह का छिपाव नहीं किये जाने के आधार पर अति० ब्याज व शास्ति को अपास्त किया गया।

3. अपीलार्थी व्यवसायी की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क दिया गया कि व्यवसायी द्वारा जो माल अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में विक्रय किया गया था। वह सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया अनुसार अन्य राज्य के व्यवहारी को उनके आदेश अनुसार माल भिजवाया गया था एवं परिवहन के दौरान अन्य घोषणा पत्र वैट-49 भी विभाग से प्राप्त कर माल के बिल के साथ भिजवाये गये थे, जिसकी घोषणा विभाग में प्रस्तुत विवरण पत्रों के साथ की गयी थी। इस तरह अपीलार्थी द्वारा समस्त संव्यवहार सद्भावी व्यापारिक संव्यवहार के रूप में किये गये थे, जिसमें उनके द्वारा कर चोरी की कोई सम्भावना नहीं थी एवं न ही कर चोरी करने का आशय था क्योंकि उनके द्वारा समस्त विक्रयों को अपने विवरण-पत्रों में दर्शाते हुए माल को अन्य राज्यों के पंजीकृत व्यवहारियों को विक्रय करने के आधार पर केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(1) के अनुसार उद्ग्रहणीय देय कर जमा करवाया गया था एवं धारा 8(4) में विहित अनिवार्य घोषणा पत्र भी व्यवसायी से प्राप्त किये गये थे जो उनके द्वारा विभाग में प्रस्तुत किये गये थे। उन्होंने कथन किया कि अन्य राज्यों के क्रेता व्यवहारियों ने जो घोषणा पत्र उन्हें भिजवाये थे, वे घोषणा पत्र उन क्रेताओं द्वारा कपटपूर्वक प्राप्त किये गये थे या वे त्रुटिपूर्ण थे इस सम्बन्ध में अपीलार्थी व्यवसायी को कोई जानकारी नहीं हो सकी थी क्योंकि अपीलार्थी व्यवहारी के पास उन वर्षों में ऐसी कोई सुविधा हासिल नहीं थी जिससे वे अपने स्तर पर घोषणा पत्रों का सत्यापन कर सकें। उन्होंने कथन किया कि चूंकि राज्य सरकार द्वारा अब सभी राज्यों में ऑनलाईन घोषणा पत्र जारी किये जाते हैं जिनका ऑनलाईन सत्यापन भी व्यवहारी कर सकते हैं परन्तु उक्त अवधि में ऐसी कोई सुविधा नहीं होने से उनके द्वारा जो भी घोषणा पत्र प्राप्त हुए थे वे प्रस्तुत कर दिये गये थे। अतः उन घोषणा पत्रों के आधार पर उनको धारा 8(1) के देय कर अर्थात् रियायती कर दर से कर देना विधिसम्मत मानते हुए अपीलीय आदेश को अपास्त करने का अनुरोध किया।
4. अपीलार्थी व्यवसायी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान इस बिन्दु पर विवाद नहीं किया कि प्रस्तुत घोषणा पत्र विधिक रूप से क्रेता व्यवहारी को प्राप्त नहीं थे एवं न ही वे उन व्यवसायी को विभाग से जारी किये हुए थे परन्तु केवलमात्र इन्हें स्वीकार करने के कथन उनकी सद्भावी अवधारणा के आधार पर प्रस्तुत किये गये हैं।
5. राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जो घोषणा पत्र प्रस्तुत किये गये थे वे बोगस घोषणा पत्र थे जिनकी जानकारी अपीलार्थियों को नहीं होने का कथन विश्वसनीय नहीं

Amrinder
04/09/12


265


हो सकता क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अन्तर्राज्यीय जांच करवाई जाने पर यह पाया गया था कि जो घोषणा पत्र प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये थे वे उन फर्मों को जारी नहीं किये गये थे जो कि इन अपीलार्थियों ने अपने क्रेताओं के रूप में दर्शाई थी। साथ ही जांच में यह भी पाया गया था कि उन कथित फर्मों द्वारा कोई माल खरीद करना प्रमाणित नहीं हुआ बल्कि यह प्रमाणित हुआ कि उन क्रेताओं द्वारा ऐसा कोई माल अपीलार्थी से खरीद नहीं किया गया था ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा जो बिक्री की गयी थी वह वास्तव में अपंजीकृत व्यवसायी को की गयी थी परन्तु स्वयं की मिलीभगत से उन क्रेताओं द्वारा बोगस घोषणा पत्र प्रस्तुत किये गये थे। अतः अपील अधिकारी के आदेश को स्वीकार कर प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
7. प्रकरण में विवादित प्रश्न यह है कि अपीलार्थी द्वारा केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(1) के तहत कर दायित्व को घोषित किया गया था परन्तु उसके समर्थन में प्रमाण के रूप में केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(4) के अनुसार घोषणा पत्र 'सी' प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था। व्यवहारियों द्वारा जो घोषणा पत्र 'सी' कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे उनमें से उक्त विवादित 'सी' फॉर्म बोगस पाये गये क्योंकि वे उन क्रेताओं को प्राप्त नहीं थे जिनके द्वारा यह विक्रेता व्यवसायी को प्रेषित किये गये। इस तरह अपीलार्थी द्वारा जो बिक्री पंजीकृत व्यवसायी को अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में बताई गई है। उसकी कर दर का निर्धारण केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(2) के अनुसार राज्य में प्रचलित पूर्ण दर से ही किया जाना विधिक आवश्यकता है। अपीलार्थी द्वारा स्वयं ने यह माना है कि उनके द्वारा जो घोषणा पत्र प्रस्तुत किये गये हैं उनके सत्यापन पर वे विधिक नहीं पाये गये एवं क्रेता व्यवहारी को यह घोषणा पत्र प्राप्त नहीं होना प्रमाणित किया हुआ है। अतः अपीलार्थी द्वारा घोषणा पत्र के प्राप्ति के संबंध में सद्भावी होने से उन्हें स्वीकार किए जाने का तर्क विधिसम्मत नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(4) में विशिष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(1) के तहत कर दायित्व का लाभ केवलमात्र घोषणा पत्रों के समर्थन पर ही प्राप्त हो सकता है चूंकि अपीलार्थी द्वारा अपील में विवादित मामले में प्रस्तुत घोषणा पत्र फर्जी एवं बोगस पाये गये अतः इनको कोई विधिक मान्यता नहीं दी जा सकती। अतः अपीलार्थी के विरुद्ध आरोपित अन्तर कर को यथावत रखने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः अपीलार्थी व्यवसायी की अपील अस्वीकार किए जाने योग्य है।

8. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 12.08.2010 को यथावत बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय सुनाया गया।


04/09/17
(राजीव चौधरी)
सदस्य


(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष